



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

U.P. Power Corporation Limited

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

CIN : U32201UP1999SGC024928

सं०-901-विधि(वाद)-22/पाकालि/2018-4(4)एल०एस०/2018

दिनांक 11.06-
मई, 2018

कार्यालय ज्ञाप

मा० न्यायालयों में लम्बित/निर्णीत वादों के अनुपालन की स्थिति तथा विलम्ब से अनुपालन होने के कारण योजित अवमानना याचिकाओं के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व मुकदमें की पैरवी/प्रतिरोध करने वाली ईकाई का होगा। इस सम्बन्ध में निम्न निर्देश जारी किए जाते हैं:-

1. मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/खण्डपीठ, लखनऊ के समक्ष लम्बित रिट याचिकाओं का विवरण Court Case Monitoring System के साफ्टवेयर पर अपलोड किया जाय। यदि किसी प्रकरण में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक महोदय की अवमानना होती है, तो अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक महोदय का मोबाइल नम्बर अवश्य फीड करें जिससे कि उच्च अधिकारियों को स्वयंमेव एस०एम०एस० से सूचना प्रेषित हो जाये।
2. नरैटिव व प्रतिशपथ पत्र (काउन्टर एफीडेविट) की तिथि भी दर्शायी जाय।
3. रिट याचिका में अग्रिम नियत तिथि तथा वर्तमान नियत तिथि पर मा० न्यायालय में हुई कार्यवाही का विवरण अवश्य भरा जाय।

इसमें कोई चूक न हो।

निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)

सं०-901(1)विधि (वाद)-22/पाकालि/2018, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रबन्ध निदेशक, म०वि०वि०नि०लि०/पू०वि०वि०नि०लि०/प०वि०वि०नि०लि०/द०वि०वि०नि०लि०/केस्को, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/कानपुर।
2. निदेशक (वित्त)/ (वाणिज्य), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (ज०वि०), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4. अपर सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. महाप्रबन्धक (औ०सं०), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. संयुक्त सचिव (अनु०कार्य०), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. सचिव, विद्युत सेवा आयोग, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, एस०एल०डी०सी० परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
- ✓ 8. अधिशासी अभियन्ता(वेब), कक्ष सं०-407, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

आज्ञा से,

(लाल सिंह)

सहायक विधि अधिकारी